

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ-8(1)ग्राविवि/अनु-5/जीकेएन/2010

जयपुर,दिनांक: 26 दिसम्बर, 2012

—: परिपत्र :—

राजस्थान पंचायती राज नियम,1966 के कय नियम-183 से 192 तक उल्लेखित सामग्री और सेवाओं का उपापन एवं निविदा सम्बन्धित प्रक्रिया का समयबद्ध क्रियान्वयन वर्ष 2013-14 हेतु ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010 के अधीन सम्पादित होने वाले समस्त योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सहित) नवीन दर मूल अनुसूची एवं सामग्री दरों का निर्धारण निम्न समय सारणी अनुसार किया जावेगा :-

क्र.सं.	गतिविधि	निर्धारित समय सीमा	उत्तरदायित्व
1	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची तैयार करना	05 जनवरी, 2013	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, पं.स. स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (कमशः खण्ड विकास अधिकारी व सहायक अभियन्ता कार्यालय, पं.स.)
2	पंचायत समिति स्तरीय दर मूल अनुसूची का अनुमोदन	15 जनवरी, 2013	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, पं.स. स्तरीय दर मूल निर्धारण समिति (कमशः खण्ड विकास अधिकारी व सहायक अभियन्ता कार्यालय, पं.स.)
3	जिला दर नियन्त्रक समिति द्वारा दरों का अनुमोदन	31 जनवरी, 2013	अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय दर मूल निर्णायक समिति (कमशः जिला कलेक्टर एवं कार्यपालक अभियन्ता (अभियान्त्रिकी))
4	पं.स.संस्थाओं द्वारा सामग्री कय हेतु निविदा निर्धारण की कार्यवाही	15 मार्च, 2013	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी (लेखा), लेखाधिकारी, जिला परिषद् एवं सहायक लेखाधिकारी, नरेगा। लेखाकार/लेखा सहायक, पं.स. तथा समस्त ग्राम पंचायत सचिव
5	वर्ष 2013-14 हेतु दर मूल अनुसूची लागू करना	01 अप्रैल, 2013	जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी

विशेष:- उक्तानुसार कार्य सम्पादन की अनिवार्यता है, अन्यथा स्थिति में सम्बन्धित को उदासीनता हेतु उत्तरदायी माना जावेगा, क्योंकि गत वर्षों में समयबद्ध दरों के निर्धारण एवं अनुमोदन के अभाव में राज्य की समग्र प्रगति पर विपरीत प्रभाव रहा है।

(आर.पी.चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान-जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मन्त्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान-जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान-जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान-जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान-जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(आर.पी.चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
2. आयुक्त, महात्मा गान्धी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राजस्थान-जयपुर।
3. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान को भेजकर लेख है कि प्रपत्र की प्रतियां अपने स्तर से समस्त सम्बन्धितों को प्रेषित करावें।
11. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
12. अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी/नरेगा/भू.सा.) समस्त जिला, राजस्थान।
13. परियोजना अधिकारी (लेखा)/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान।
14. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत समस्त, राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

(आर.पी.चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)